(वाद सं०–2243/4/9/2023)

08.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, बिहार राज्य भण्डार निगम, से सेवानिवृत्त कर्मी, शिवनंदन राम, के भारतीय जीवन बीमा निगम के पेन्शन एवं ग्रुप स्कीम हेतु बीमित राशि को उनके जीवनकाल में ही एकमुश्त भुगतान किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भण्डार निगम, पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भण्डार निगम, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **''परिवादी, शिवनंदन राम, पी0सी0डी0ओ0 से सेवानिवृत्त हुए है तथा उन्हें निगम द्वारा देय सभी सेवान्त लाभों का भुगतान कर दिया गया है। परिवादी के पेन्शन हेतु बीमित राशि 89,333/– रूपये का भुगतान उनके जीवित रहते संभव नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परिवादी को त्रैमासिक रूप से 1503/– रूपये का भुगतान किया जा रहा है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त बीमा की राशि 89,333/– रूपये का भुगतान उनके वैधिक उत्तराधिकारी को किया जाना है।''**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी की ओर से पुनः अपने जीवनकाल में ही भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमित राशि के भुगतान का अनुरोध करते हुए उसके द्वारा उसके बीमा पॉलिसी में दिये गये नॉमिनी का नाम खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अब जबकि किसी व्यक्ति के जीवनकाल में जीवन बीमा की बीमित राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन परिवाद को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

परिवादी अगर उक्त बीमित राशि के नॉमिनी को बदलना चाहते है, तो वह इस सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भण्डार निगम, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 10–09/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार, परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव